



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 04]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 04(अ).**—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव, (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 125ग, में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास को और छह मास की समाप्ति के पश्चात् दुतल्ला बसों की बॉडी बिल्डिंग के लिए, उनमें वर्णित यानों के लिए परीक्षण और अनुमोदन, जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं, तब तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस – 139:2016 के अनुसार होगा।”

[फा. सं. आरटी-11028/11/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ), तारीख \_\_\_\_\_ को संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2017

**G.S.R. 04(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

### DRAFT RULES

- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicle Rules (hereinafter referred as the said Rules), in sub-rule 125-C, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) On and after the expiry of six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (\_\_\_\_\_ Amendment) Rules, 2017, the testing and approval for body building of double decked buses shall be in accordance with AIS-139:2016, as amended from time to time, for vehicles mentioned therein, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).”.

[F. No. RT-11028/11/2016-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. \_\_\_\_\_ (E) dated the \_\_\_\_\_